



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-67 / 2023</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।</p> <p>दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन का प्रमाण पेश करें।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-30.01.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	